UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

बिजनौर पुलिस
BIJNOR POLICE

🚨 ड्रोन संबंधी जागरूकता – बिजनौर पुलिस की अपील 🚁

📌 वर्तमान स्थिति-

-विभिन्न थाना क्षेत्रों में रात्रि के समय ड्रोन जैसी रोशनी दिखाई देने की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं।
-कई बार खिलौना, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की रोशनी को भी ड्रोन समझ लिया जाता है।
-इस प्रकार की गलतफहमी से अफवाहें फैलती हैं और लोगों में अनावश्यक भय उत्पन्न होता है।

👮 पुलिस के कदम-

-रात्रि गश्त बढ़ाकर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है।
-गाँव-गाँव जनसभाएँ और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
-सभी ड्रोन धारकों का सत्यापन और पंजीकरण किया जा रहा है ।
-तकनीकी निगरानी (Technical Surveillance) द्वारा ड्रोन संबंधी सूचनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है।
-जनपद की सभी ग्राम सुरक्षा समिति से यह अपील की गयी है कि ड्रोन के संबंध में किसी प्रकार की सूचना मिलने पर यूपी-112 को तत्काल सूचना दें तथा स्वयं कानून को अपने हाथ में न ले और आपराधिक दृष्टिकोण से प्रभावित न हो।

📜 नियम व कानून-

-250 ग्राम से अधिक वजन वाले सभी ड्रोन का पंजीकरण अनिवार्य ।
-यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत क्षेत्र में ड्रोन उड़ाता है या संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति लिए बिना इसका संचालन करता है, तो उस पर ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

🔍 पहचान कैसे करें –

-: असली ड्रोन बनाम खिलौना हेलीकॉप्टर/ड्रोन :-

खिलौना हेलीकॉप्टर / ड्रोन-

-हल्का वजन, अक्सर 250 ग्राम से कम।
-अधिक उड़ान क्षमता नहीं है।
-बच्चों के खिलौनों जैसे चमकदार रंग या LED लाइट।
-कम आवाज़ व रिमोट कंट्रोल की सीमित रेंज (50-100 मीटर)।
-यह ड्रोन Amazon, Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स व स्थानीय बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध हो जाते है।

-रजिस्टर्ड/प्रोफेशनल ड्रोन:-

-बड़ा आकार व उच्च उड़ान क्षमता (20 मिनट से अधिक)।
-पंखों पर स्थिर LED सिग्नल लाइट्स (लाल/हरी)।
-कैमरा/रिकॉर्डिंग उपकरण लगे होते हैं।
-अधिक ऊँचाई पर स्थिर उड़ान और GPS तकनीक का प्रयोग।

🙏 जनता के लिए अपील-

- यदि आपको संदिग्ध ड्रोन दिखाई दे, तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दें।
📞 अफवाह न फैलाएँ और दूसरों को भी शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित करें।
🤝 ड्रोन का उपयोग करने से पहले अनिवार्य अनुमति व पंजीकरण अवश्य कराएँ।
📝 सतर्क रहें, सुरक्षित रहें – जनपद बिजनौर पुलिस आपके साथ है।

🤝 *एकजुट होकर ही हम अपने क्षेत्र को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना सकते हैं।* 🤝

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर दिनॉक 28.07.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 640/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 28.07.2025 को वादी श्री कृष्णपाल उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी सीमला खुर्द थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रोबिन पुत्र कमल निवासी ग्राम सीमला कलां थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2.रींकू राणा पुत्र कुडवा निवासी ग्राम कुम्हेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी बैनामा व कुटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी के साथ धोखाधडी की गयी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 640/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 28.07.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1.रोबिन पुत्र कमल निवासी ग्राम सीमला कलां थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2.रींकू राणा पुत्र कुडवा निवासी ग्राम कुम्हेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.रोबिन पुत्र कमल निवासी ग्राम सीमला कलां थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2.रींकू राणा पुत्र कुडवा निवासी ग्राम कुम्हेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 बब्लू सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 2041 राजीव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना धामपुर   दिनॉक 28.07.2025

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 286/25 धारा 85/80(2)/3(5)/238/352 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध में 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 27.07.2025 को वादी श्री माधो राम पुत्र श्री मुसद्दी सिंह चौहान निवासी ग्राम मुख्तारपुर उर्फ हकीमपुर दिसौंदी, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री रुबी की शादी दिनांक 06.02.2024 को मुकुल पुत्र अशोक निवासी गजरौला, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर के साथ हुई थी। शादी के उपरांत वादी की पुत्री से उसके ससुरालजन मुकुल व सास सुशीला द्वारा दहेज की मांग करते हुए प्रताडित किया जाता था। दिनांक 26.07.2025 को दिन में वादी की पुत्री की उसके पति मुकुल व सास सुशीला ने हत्या कर दी है व शव का चोरी–छिपे अंतिम संस्कार भी कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर धामपुर पर मु0अ0सं0 286/25 धारा 85/80(2)/3(5)/238/352 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 28.07.2025 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.मुकुल पुत्र अशोक निवासी ग्राम गजरौला थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2. सुशीला पत्नी अशोक निवासी ग्राम गजरौला थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.मुकुल पुत्र अशोक निवासी ग्राम गजरौला थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.सुशीला पत्नी अशोक निवासी ग्राम गजरौला थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 विजेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 322 अमित कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

3.महिला आरक्षी 1017 ज्योति डहरवाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक – 28.07.2025**

थाना नगीना पुलिस द्वारा "दोस्त पुलिस" एवं "मिशन शक्ति" अभियान के अंतर्गत छात्राओं को किया गया जागरूक ।

आज दिनांक 28.07.2025 को थाना नगीना परिसर में "दोस्त पुलिस अभियान" एवं "मिशन शक्ति फेज - 05" के अंतर्गत M.M. इंटर कॉलेज, नगीना की छात्राओं हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षा, अधिकार एवं सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक करना तथा पुलिस और समाज के बीच विश्वास एवं सहयोग की भावना को मजबूत करना था ।

कार्यक्रम के दौरान **क्षेत्राधिकारी नगीना** द्वारा छात्राओं से संवाद स्थापित कर उन्हें **आपातकालीन टोल फ्री नंबरों (1090, 112, 181)** की जानकारी दी गई और बताया गया कि ये सेवाएं संकट की घड़ी में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर हैं । छात्राओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की भय, शंका या उत्पीड़न की स्थिति में बिना संकोच पुलिस से संपर्क करें ।

पुलिसिंग को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित न रखते हुए, इसे एक **जन-संवेदनशील सेवा** के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां पुलिस आमजन की सहायता, मार्गदर्शन और संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रही है ।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में कक्षा 7B की छात्रा **सादिया अंसारी (पुत्री मुबारक अंसारी)** एवं कक्षा 8D की छात्रा **वजिहा परवीन (पुत्री शमशाद अहमद)** को "एक दिन की थानाध्यक्ष" की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे न सिर्फ छात्राओं को प्रशासनिक कार्यप्रणाली का अनुभव प्राप्त हुआ, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक जिम्मेदारी का भाव भी विकसित हुआ ।

इस अवसर पर "दोस्त पुलिस" अभियान के संदेश **"पुलिस आपकी दोस्त है – उसे जानिए और समझिए"** को छात्राओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे **जनमानस में पुलिस के प्रति सकारात्मक सोच** विकसित हो सके ।

कार्यक्रम में उपस्थित **म0उ0नि0 सपना तोमर, म0उ0नि0 विन्द्रेश, म0हे0कां0 रेशमा, म0कां0 रीता, साक्षी एवं नेहा** द्वारा छात्राओं को **महिला अधिकारों, आत्मरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव तथा प्रोत्साहन योजनाओं** के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई ।

जन सहयोग, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता पर आधारित अच्छी पुलिसिंग के माध्यम से जनपद पुलिस महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा हेतु सतत प्रयासरत है ।